

12

C.F.-16-7-14

30

रा.रा. माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष

R-2284-PBR114

रे.नि.

2014

प्रस्तुति

श्रीमती गीताबाई पति श्री जगदीश परमार
उम्र-55 वर्ष धंधा-खेती व गृहकार्य
ग्राम हरनियाखेडी, तेह.महू व जिला इंदौर

.....प्रार्थी

विरुद्ध

श्रीमती कृष्णाबाई पति श्री हरदेव प्रजापति
उम्र-50 वर्ष धंधा-खेती व गृहकार्य
इंद्रपुरी कालोनी,सांतेर किशनगंज, तेह.महू व जिला इंदौर

.....प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 के तहत-

प्रार्थी के द्वारा यह निगरानी याचिका श्रीमान तेहसीलदार महोदय (तपीस पांडे) तेह.डॉ.अंबेडकर नगर महू जिला इन्दौर द्वारा राजस्व प्रकरण कं. 1/अ-70/10-11 मे दिनांक 24/06/2014 को पारित आदेश जिसके माध्यम से प्रार्थी के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है उससे क्षुब्ध व असन्तुष्ट होकर निम्न व अन्य आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है -

श्री. भोजेश शर्मा
अभिभाषक द्वारा
दिनांक


उपरोक्त
भोदश
नी जा
तों व
स
उचि
करते

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2284-पीबीआर/14

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
16-4-2018	<p>आवेदकपक्ष व उनके अधिवक्ता दिनांक 19-7-2016 से लगातार सूचना उपरांत अनुपस्थित । आवेदकपक्ष व अधिवक्ता को तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण आवेदक पक्ष की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p>	<p>(</p> <p> अध्यक्ष</p>